संचिका सं0–10/पद सृजन–20–01/2017......122.........(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक– 19/04/2018

विषय:– फार्मासिस्ट संवर्ग के गठन से संबंधित समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का सृजन/उत्क्रमण की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट संवर्ग का गठन करते हुए प्रोन्नति के विभिन्न पद सोपानों के अन्तर्गत पद सृजन किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–89(4), दिनांक–16.01.2018 द्वारा गठित समिति के कार्यवाही पत्रांक–34/नि0प्र0 को0 दिनांक–19.01.2018 के आलोक में मूल कोटि एवं प्रोन्नति के विभिन्न पद सोपानों में उत्क्रमण के साथ सामंजन किया गया है ।

2. समिति द्वारा अनुशंसित मूल कोटि एवं प्रोन्नति के विभिन्न पद सोपानों के अनुरूप निम्नांकित रूप से फार्मासिस्ट संवर्ग के गठन की स्वीकृति दी जाती है:–

क्रमांक	पदनाम	समिति द्वारा प्रस्तावित पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	2	3	4
1	फार्मासिस्ट (मूल कोटि)	1903	Level-5
2	वरीय फार्मासिस्ट (प्रथम प्रोन्नति)	253	Level-6
3	वरीय मुख्य फार्मासिस्ट (द्वितीय प्रोन्नति)	48	Level-7
	कुल–	**2204**	

फार्मासिस्ट संवर्ग में वर्त्तमान में कुल 2204 पद सृजित हैं। जिसमें 1903 पदों को मूल कोटि में बनाए रखने एवं 2204–1903=301 पदों पर प्रोन्नति के भिन्न–भिन्न कोटि में उत्क्रमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. संवर्ग के गठन एवं प्रोन्नति के विभिन्न सोपानों के पद सृजन/उत्क्रमण के फलस्वरूप कुल वार्षिक व्यय रुपये 89,86,09,320/- (नवासी करोड़ छियासी लाख नौ हजार तीन सौ बीस रुपये) का व्यय संभावित है।

D:\DEP-10\Amrendra Kr\Rajayadesh & Awanatanadesh doc\Rajayadesh & Awanatanadesh (2018-19)\Pharmasist Samverg.doc

4. संवर्ग के गठन के पश्चात मूल कोटि एवं प्रोन्नति के विभिन्न पद सोपानों के तहत उत्क्रमित एवं सामंजन के साथ होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. इन पदों के सृजन/उत्क्रमण किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

6. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(signature) 19/4/18
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 122(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19/04/2018

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–17.04.2018 में मद संख्या–13 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 4 एवं 7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature) 19/4/18

सरकार के विशेष सचिव ।